

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड

“ऑडिट भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फ़ोन: 0135-2970866, 2970867 फ़ैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/महंगाई राहत/डी०आर०-48//2026-27/515

दिनांक 20/07/2026

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुंबई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II गोमती नगर	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

222 505 38 13

14-85

212

1/10
1/10
1/10



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195
Office of The Accountant General (A&E), Uttarakhand
Audit Bhavan, Kaulagarh, Dehradun- 248195



पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०- 48/2026-27/ I/1528330/2026

दिनांक: 17-07-2026

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

समस्त कार्यालय प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
(मेल सूची अनुसार)

विषय:- महंगाई राहत की दरों में संशोधन (01.01.2026 से प्रभावी)- राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 7 वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक: 01 जनवरी 2026 से 58% के स्थान पर 60% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-1 0 संख्या-396999//XXVII
(10)/E-22807/ 2022 दिनांक: 18.05.2026

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या-396999//XXVII (10)/E-22807/2022 दिनांक:18.05.2026 द्वारा जारी संदर्भित शासनादेश की प्रति विशेष मुद्रांकन सहित संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Kishore Singh Kutiyal
Date: 17-07-2026
12:56:10

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: 396999/XXVII(10)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: 18 मई, 2026

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No-396999/XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 18th May, 2026

कार्यालय ज्ञाप

विषय- महंगाई राहत की दरों में संशोधन
(01.01.2026 से प्रभावी)

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-339242/XXVII(10)/E-22807/2022, दिनांक 27.10.2025 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2026 से 58% प्रतिशत के स्थान पर 60% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

Office Memorandum

Subject- Revision in the Rates of Dearness Relief (effective from 01.01.2026)

The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the rate of Dearness Relief from 58% to 60 % with effect from 01.01.2026, superseding the earlier rates sanctioned vide this O.M. No. 339242/XXVII(10)/E-22807/ 2022, Dated 27.10.2025, for those pensioners whose pension has been revised in accordance with the recommendations of the 7th pay Commission.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

श्री उरान्त
13/12/20

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 18-05-2026

17:43:50 (Dr. V. Shanmugam)
सचिव

(Dr. V. Shanmugam)
Secretary

संख्या-396999 / XXVII(10)/E-22807/2022, तददिनांकित।

No.396999 / XXVII(10)/E-22807/2022,
dated as above.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

1- Secretary to Governor, Uttarakhand.

2. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2-All Principal Secretaries/Special Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास

3-Secretary, Bureau of Public

विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपक्रम/निकाय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमत्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Enterprises/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of Dearness Relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- All Commissioner/ District Magistrate, Uttarakhand.

5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5- All Heads of Departments & Head of Offices, Uttarakhand.

6. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारियों को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6-Accountant General Uttarakhand (A&E), Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7- Director, Treasury, Pension and Entitlement, Uttarakhand, Dehradun.

8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun.

9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से

Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 18-05-2026
17:45:01

अपर सचिव

By Order,

(Khajan Chandra Pandey)
Additional Secretary

